

सीधी भर्ती हेतु अर्थना पत्र

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिये औषधि नियंत्रण अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु।

1(क) पद का नाम (हिन्दी) में : औषधि नियंत्रण अधिकारी
पद का नाम (अंग्रेजी) में : Drug Control Officer

(ख) भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या : 50

पदों का आरक्षण:-

वर्ग	कुल पद	कार्यरत	रिक्तिया	पुरुष	महिला	विधवा	परित्यक्ता
अनारक्षित वर्ग	61	29	32	24	05	02	01
अनुसूचित जन जाति	13	09	04	02	02	-	-
पिछड़ा वर्ग / एस0बी0सी	24	19	05	02	02	01	-
अनुसूचित जाति	18	09	09	07	02	-	-
कुल	116	66	50	35	11	03	01

नोट :- हारिजेन्टल

आरक्षण :-

विशेष योग्य जन 01

पद,

(ग) भरे जाने वाले पद/पदों का रिक्त वर्ष :-

(अ) 20 पद वर्ष 2012-13

(नवीन सृजित- परिशिष्ट-01)

(ब) 02 पद ex cadre

(2011-12 एवं 2012-12 (आरएमएससीएल हेतु)

परिशिष्ट-02 एवं 03(कुल 22 पद नवसृजित)

(स) 26 पद पदोन्नति से रिक्त


(परि-04 से 07)

(द) 01 पद सेवानिवृत्ति से

(परि 08)

(य) 01 पद स्वर्गवास से

(परि 09)


औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

मजाला 2 जुलै-02 पर

कृपया इस
संलग्न उपरोक्त
+
to Report

copy

2

यदि अनुसूचित जाति/
जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/
विकलांग के पात्र एवं उपयुक्त
अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पदों को
नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा
जावे या उक्त जातियों के अभ्यर्थियों
से ही भरा जावे स्पष्ट रूप से उल्लेख
करे। यदि आरक्षित जाति के अभ्यर्थी
उपलब्ध न हो तो सामान्य अभ्यर्थी से
भर दिये जावे।

निर्धारित
रोस्टर प्रणाली
के अनुसार
पदोंको भरा
जाना प्रस्तावित
है। वर्म
विशेषके
अभ्यर्थी
उपलब्ध नहीं
होने पर
नियमानुसारबैंक
लाग रखा
जावेगा।

नोट- अनुसूचित
जाति/जनजाति के
लिये आरक्षित पदों
की कुल स्पष्ट
संख्या रोस्टर
प्रणाली के आधार
पर उपरोक्त भाग
में अंकित करने का
उत्तरदायित्व
नियुक्ति अधिकारी
का होगा।

(क) पद राज्य सेवा का अथवा अधीनस्थ सेवा का है :-
(ख) पद किस सेवा नियम के अंतर्गत :-
भरा जाना है

राज्य सेवा
राजस्थान
चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य सेवा
नियम 1963

(ग) पद अथवा पदों की प्रख्यापित
(Prescribed) सेवा नियमों के
शिड्यूल में अस्थाई रूप से यदि
समाविष्ट किया गया हो तो उस
आदेश एवं अस्थाई शिड्यूल की
प्रति भी अर्चना के साथ अवश्य
संलग्न करें।

X

3(क) पद स्थाई है :-
अथवा अस्थाई

(ख) यदि अस्थाई जी हों
है तो:-

1-पद अस्थाई
स्वीकृति की अवधि
कब तक की है:-

2-क्या पद
अनिश्चित काल
तक बने रहने
की संभावना
है:- जी हों

3-क्या पद स्थाई
होने की
संभावना है:-
जी हों

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

(३) (ग)

क्या पदों पर तदर्थ नियुक्ति/नियुक्तियों की हुई है, यदि हां तो क्या उनकी नियुक्तियां प्रख्यापित सेवा नियमों के अंतर्गत नई भर्ती (अल्पकालीन विज्ञापन/पदोन्नति/स्थानांतरण/संवैदा (Contract) द्वारा की गई है, कृपया स्पष्ट उल्लेख करें

जी नहीं

(घ)

पद पर कौन कार्य कर रहा है/रहे थे/रहे हैं तथा अधर्मा के साथ उनकी सूची संतग्न करें

नवसृजित

(ङ)

पद/पदों के रिक्त होने का कारण

नवसृजित

4 योग्यताएं:- अनिदर्य (हिन्दी) में अनुभव

(क)

Qualification (Essential) & Experience in English

1 राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियमों की प्रति संलग्न (परिशिष्ट-10)

(ख) न्यूनतम योग्यता (हिन्दी) में

1. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 49 के अनुसार (परिशिष्ट-11)

Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology from a University established in India by Law.

2. देवनागरी लिपि हिन्दी लिखने व पढ़ने का व्यावहारिक ज्ञान

- नोट: 1 यदि योग्यता में समकक्ष योग्यता भी हो तो इन समकक्ष योग्यताओं की सूची संलग्न करें।
- 2 यदि योग्यताओं में मान्य संस्थाएं संबंधित हो तो उन समस्त मान्य संस्थाओं की सूची संलग्न करें।
3. यदि योग्यताओं में विशेष प्रशिक्षण का उल्लेख हो तो प्रशिक्षण का पूर्ण उल्लेख करें कि वह किस प्रकार का हो तथा कहां से प्रशिक्षण लिया गया है।

5(क) पद का वेतनमान

1. पे ब्रेण्ड -3 15600-39100(ग्रेडपे 5400) (परि0-12)

2. राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स 2008 के नियम 21 के तहत परीक्षा अवधि में नियत पारिश्रमिक वित्त विभाग के आदेश

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान 5400-0452

कमांक एफ-14(1)एफडी /
रूल्स/2014 पार्ट दिनांक 24.12.
2014 के अनुसार (Fixed)
21160/- प्रतिमाह देय होगा।
सफलतापूर्वक पूर्ण परीक्षाअवधि होने
पर चालू वेतन बैंड में वेतन नियतन
किया जायेगा। (परि0-13)

3.परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य
सुविधाएँ एवं अवकाश आदि राजस्थान
सेवा नियमों आदि में संशोधित
प्रावधानों के अनुसार देय। अंशदायी
पेंशन योजना परीवीक्षा अवधि पूर्ण
होने के बाद लागू होगी।

(ख) अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन
कितना व किन परिस्थितियों में-

जी नहीं

6 आयु (क) आयु सीमा - न्यूनतम एवं
अधिकतम

21 वर्ष न्यूनतम एवं 45 वर्ष अधिकतम। (राजस्थान
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के
अन्तर्गत। (राज्य सरकार के पत्र कमांक
प016(2)चिस्वा/गुप-2/2001 पार्ट
दिनांक 31.01.2012 के अनुसार न्यूनतम आयु
सीमा 22 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की गई है)
(परि0-14)

(ख) अधिकतम आयु सीमा में
छूट

1.सामान्य महिलायें एवं
एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी
(पुरुष) :- 5 वर्ष
2.भूतपूर्व सैनिक 50 वर्ष की उम्र तक।
3.विधवा एवं तलाकपुदा महिलायें- कोई
आयु सीमा नहीं

1. एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी (महिलायें)
:- 10 वर्ष
2. निशक्तजन को आयु सीमा में नियमानुसार
छूट होगी

नोट:-राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 10 के अनुसार विभिन्न जातियों के
अभियार्थियों को आयुसीमा में छूट के संबंध में जारी नियमों की प्रति संलग्न की जा रही है।

7 पद/पदों से संबंधित कार्य (हिन्दी व अंग्रेजी दोनों
भाषाओं) में :-

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम
1940 व नियम 1945, औषधि मूल्य
नियंत्रण आदेश, ड्रग एण्ड मेडिकल
रेमेडिज(ओब्जेक्शनबल
एडवरटाइजमेंट) एक्ट, आदि के तहत
परिभाषित समस्त कार्य।
राज्य के किसी भी जिले
पर सरकार द्वारा निर्धारित, जहां पर
पद सृजित हैं।

8 मुख्यालय

9 परीवीक्षा काल की अवधि परीवीक्षा काल (प्रोबेशन)
प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) विभागीय परीक्षा, यदि आवश्यक
हो तो उसका विवरण
10 क्या पद पेंशन योग्य है :-

दो वर्ष (फिक्स वेतन) परीवीक्षा काल
में किसी प्रकार की विभागीय परीक्षा
अथवा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं।
जी नहीं, केवल अंशदान पेंशन
योजना लागू।

11 अवधि जिसके अन्तर्गत आयोग द्वारा चयनित
अभ्यार्थि/ अभ्यार्थियों की नियुक्ति की दिनांक से
कार्यभार संभालना है

नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी
होने की तिथि से अधिकतम एक
माह की अवधि में।

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान-0542

(5)

- 12 अन्य सुविधायें यथा निशुल्क निवास विद्युत-जल जी नहीं इत्यादि

कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
 शासन सचिवालय के परिपत्र क्रमांक : प.6 (19) गृह-13/2006 दिनांक 22.6.06 के अनुसार, राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है।
 प्रमाणित किया जाता है कि इस अर्थना प्रपत्र में दिये गये विवरण पूर्णतः संबंधित सेवा नियमों यथा राज्य सेवा में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये स्थाई अनुदेशों {Standing Instructions} के अनुसार है और निम्न हस्ताक्षरकर्ता, कार्यालय अनुदेशों {Exectutive Instructions} के अनुसार अर्थना प्रपत्र भेजने के लिए सक्षम है।

20/11/19/2017
 (अजय फाटक)
 औषधि नियंत्रक
 स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग
 जयपुर।

संलग्न

Urgent